

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर


क्रमांक:- सं.24(6)(7)स्था./पदौ./अभि./2021/2023-80 दिनांक : 22/02/2022

पदोन्नति आदेश

राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी भर्ती एवं अन्य सेवा नियम 2014 के नियम 28 के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्र के कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 पे मैटिक्स लेवल -08 में पदोन्नति किया जाता है :-


क्रं.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया ।
01.	श्री वीरभद्र सिंह राठौड पुत्र स्व. श्री बलबहादुर सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन, बॉसवाडा	सामान्य	दिनांक 01.04.2021
02.	श्रीमती विन्दा कुंवर पत्नी स्व. श्री विश्वनाथ सिंह	सहायक निदेशक अभियोजन, डूंगरपुर	सामान्य	दिनांक 01.04.2021

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ पदोन्नत पद पर उपस्थिति की दिनांक से देय होंगे। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक पं0 13(5) सा.प्र./3/2008 दिनांक 07.01.2022. द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगे।


(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
4. सम्बन्धित कार्मिक ।
5. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली ।


22/2/22
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर